सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–23 / 2022 दर्ज तिथिः–10.02.2022

1. जसाराम पुत्र खेराजराम
   जाति जाट निवासी लखारी नाडी, लोहारवा, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

......................प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार धोरीमना
2. गोरखाराम पुत्र खेताराम
   जाति जाट निवासी आलमसर खूर्द, तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

..........................असल विप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री मदनलाल
अप्रार्थीगणः– देवाराम चौधरी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना(बाड़मेर)

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–12.09.2025

प्रार्थना–पत्र

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है–

- कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा –131,136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करं निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 103/2 रकबा 12 बिस्वा यानि 0.0971 है0 मौजा आलमसर खूर्द पटवार हल्का उड़ासर [illegible] धोरीमना जिला बाड़मेर में अवस्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:19:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

- कि प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी जरिये पंजिबद्ध विक्रय पत्र से दिनांक 29.11.1999 को मूल खेत खसरा संख्या 103 रकबा 18—05 बीघा में से सहखातेदार खेता वल्द वागा जाति जाट निवासी आलमसर खूर्द से खरीद की गई थी तथा वक्त ख़रीद बेचानकर्ता खेता द्वारा प्रार्थी को उसकी खरीदसुदा भूमि 12 बिस्वा का धोरीमना से उड़ासर जाने वाली सड़क पर कब्जा करवाया गया था जहां प्रार्थी का वक्त खरीद से आज दिन तक लगातार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं।
- कि तत्पश्चात प्रार्थी व अन्य खातेदारों के मध्य बंटवारा होने से प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि 12 बिस्वा का बंटवारा कर अलग से नये खसरा नंबर 103 / 2 रकबा 12 बिस्वा का सर्जन किया गया तथा बंटवारा व मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार नामान्तरकरण पारित करने व तरमीम करने हेतु हल्का पटवारी से निवेदन किया गया जिस पर हल्का पटवारी ने तरमीम करने का आश्वासन दिया परन्तु हल्का पटवारी ने प्रार्थी से द्वेष भाव रखते हुए प्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम न कर अलग तरमीम कर दी। इस प्रकार प्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त व तरमीम में भारी भिन्नता है जो केवल मात्र पटवारी हल्का ने गलत रूप से तरमीम करने के कारण हुई है।
- कि प्रार्थी की भूमि की अलग तरमीम की हुई है लेकिन लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त में अन्तर है तथा प्रार्थी की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं की गई है। प्रार्थी के खेत मौके पर कब्जा काश्त संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए अनुसार है। तथा इसी अनुसार राजस्व अधिकारियें को प्रार्थी के भूमि की तरमीम करनी थी लेकिन राजस्व अधिकारियों ने मौके पर न जाकर बिना मौका जांच किये गलत तरमीम कर दी जिसे प्रार्थी ने तरमीम दुरस्त करने का यह आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी के बंटवारा,मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 2 मय वकुलाय न्यायालय हाजा उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया । तत्पश्चात तहसीलदार धोरीमन्ना से मौके की वर्तमान तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक 737 दिनांक 27.03.2025 के द्वारा बिन्दुवार मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपनी जांच रिपोर्ट व विगतवार जबाव में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी के खसरा संख्या 103 / 2 रकबा 12 बिस्वा की तरमीम सहमती विभाजन व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार अंकित नहीं की गई है। लठ्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम मौके पर कब्जा काश्त से भिन्न है। तरमीम दुरस्त किये जाने से रकबा यथावत रहेगा तथा मौके अनुसार रेकर्ड में समानता होगी। प्रार्थी के आराजी खसरा संख्या 103 / 2 की वर्तमान तरमीम संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है तथा [illegible] उक्त आराजी की मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करने हे[illegible]स्तावित तरमीम संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार किया जाना उचित होने का लिखित कथन [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:19:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

3. तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार नवीन विभाजित खसरे की तरमीम गलत दर्शाई गई है जो परिशिष्ट 'A' अनुसार दर्शाई गई है। नवीन विभाजित खसरे की तरमीम मौका एवं कब्जा काश्त के में दर्शाऐ अनुसार परिशिष्ट 'B' अनुसार दुरस्त किये जाने का कथन किया गया। अतः खसरा संख्या 103／2 की परिशिष्ट 'B' अनुसार तरमीम दुरस्त करने पर रेकर्ड एवं मौका में समानता रहेगी ।

जिरह

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा अंतिम बहस की गई।विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारानकी जिरह सुनी गई। जो कि संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः—

प्रार्थी	अप्रार्थी
प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धाराः—131 136 पर बहस	
1. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विप्रार्थी तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा बनाई गई वर्तमान मौका रिपोर्ट में पेश नजरिये नक्शा परिशिष्ट ' B' के अनुसार खसरा संख्या 103／2 की तरमीम दुरस्त करने से वास्तविक कब्जे के अनुसार तरमीम हो जाने से मौके पर कोई विवाद नहीं रहेगा तथा तरमीम दुरस्त किये जाने से रकबा यथावत रहेगा। इसलिए परिशिष्ट 'B' अनुसार तरमीम दुरस्त कर इसी अनुसार नक्शा ट्रैस व ऑनलाईन नक्शे में दुरस्ती का इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें का निवेदन पेश किया।	1. विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 11.03.2025 के अनुसार दुरस्त करने पर आपति जाहिर करते हुए तंरमीम दुरस्ती नही करने का कथन किया।

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि मौके पर तरमीम त्रुटीपूर्ण है तथा तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट में संलगन नक्शा परिशिष्ट 'B' के अनुसार तरमीम दुरस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है। तरमीम दुरस्त करने से वास्तविक कब्जे के अनुसार तरमीम हो जाने से मौके पर कोई विवाद नहीं रहेगा तथा तरमीम दुरस्त किये जाने से

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:19:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

रकबा यथावत रहेगा।

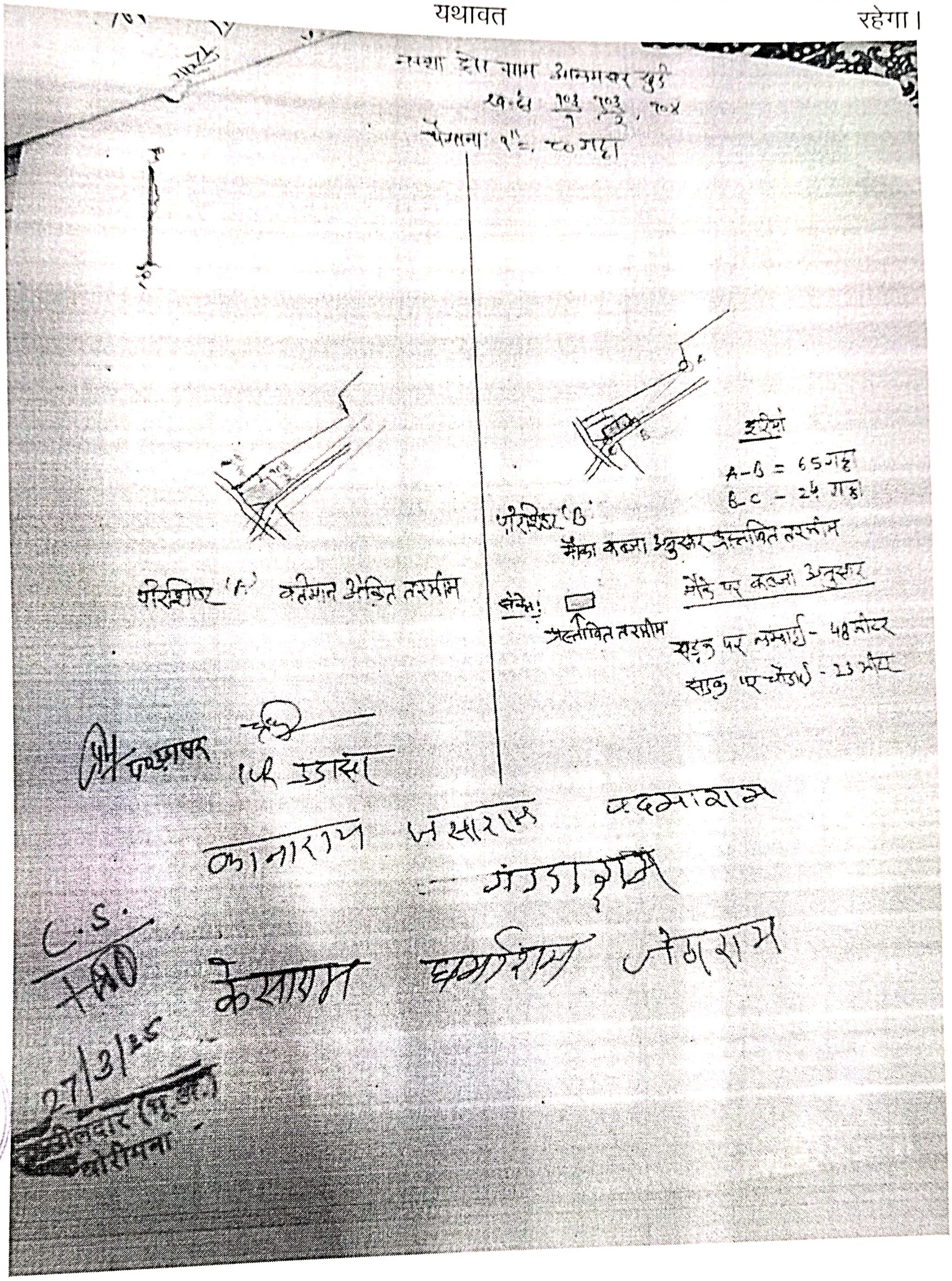

निष्कर्ष

6. इस प्रकार प्रकरण में **सर्वप्रथम** प्रार्थी के सहमति विभा[illegible]त निर्मित खसरा संख्या 103/2 की वर्तमान तरमीम मौके पर [illegible] काश्त अनुस[illegible] होने तथा भू–नक्शा में विपरीत अंकित होने से तहसीलदार धोरीमन्ना की [illegible] रिपोर्ट दिनांक 11.03.2025 के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:19:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

जसाराम बनाम तहसीलदार धोरीमना
2022 / 32
निर्णय दिनांकः—12.09.2025

संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट—'B' के अनुसार तरमीम दुरुस्ती कर राजस्व रेकर्ड नक्शा दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 06 के निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'B' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 11.03.2025 व नजरी नक्शा 'परिशिष्ट ' B' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 12.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

12/9/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:19:44 IST
Reason: SelfAttested